

प्रेषक,

महेश कुमार गुप्ता,  
अपर मुख्य सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
उ०प्र० नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण,  
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग

लखनऊ : दिनांक ४ दिसंबर, 2022

विषय: उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति-2022 के प्राविधानों एवं प्रोत्साहनों के अनुसार प्रदेश में ग्रिड संयोजित सौर परियोजनाओं की स्थापना, विकास एवं उनके क्रियान्वयन के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के शासनादेश संख्या:-1335 /87-755-अति०ऊ०स्रो०वि०/2022, दिनांक 23 नवम्बर, 2022 द्वारा “उ०प्र० सौर ऊर्जा नीति-2022” का प्रख्यापन किया गया है। सौर ऊर्जा नीति 2022 के अन्तर्गत 22,000 मे०वा० का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें यूटीलिटी स्केल सोलर प्रोजेक्ट (14,000 मे०वा०), सोलर रूफ टॉप (आवासीय क्षेत्र) (4,500 मे०वा०), सोलर रूफ टॉप (गैर आवासीय क्षेत्र) (1,500 मे०वा०), विकेन्द्रीय सौर उत्पादन (2,000 मे०वा०) शामिल हैं। इस नीति में उ०प्र० की युवा जनशक्ति को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में रोजगार एवं प्रशिक्षण का भी प्राविधान रखा गया है, जिसके अन्तर्गत 30,000 युवकों को प्रशिक्षित करने का महत्वकांकी लक्ष्य निर्धारित है। इस नीति के अंतर्गत ग्रिड संयोजित सौर परियोजनाओं की स्थापना, विकास एवं उनके क्रियान्वयन के सम्बन्ध में कृपया निम्नलिखित दिशा-निर्देशों के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें :-

- 1- इस नीति के क्रियान्वयन के लिए उ०प्र० नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) नोडल एजेंसी होगी। सौर ऊर्जा नीति के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु योजनाओं के क्रियान्वयन एवं परियोजना विकासकर्ताओं की सुगमता एवं सहायता का कार्य नोडल एजेन्सी द्वारा किया जाएगा। समस्त प्रकार की सौर परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु सिंगल विंडो के रूप में यूपीनेडा नोडल एजेन्सी कार्य करेगी। सौर परियोजनाओं का पंजीकरण डेवलपर्स/फर्म द्वारा समय-समय पर निर्धारित पंजीकरण शुल्क प्राप्त कर किया जाएगा तथा यूपीनेडा द्वारा विकासकर्ता/फर्मों को लाईन विभागों जैसे डिस्कॉम, ट्रांसमिशन, राजस्व विभाग, स्टाम्प, विद्युत सुरक्षा, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सिंचाई विभाग, उत्पादन कम्पनियों, अग्नि सुरक्षा विभाग इत्यादि के साथ समन्वय करने में सुविधा प्रदान करने के लिये पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा:-  
क- नोडल एजेंसी द्वारा सौर ऊर्जा परियोजनाओं के अनुमोदन हेतु प्रतिस्पर्धात्मक निविदा आमंत्रण, पीपीए निष्पादन, सांविधिक अनुमति तथा एमएनआरई, भारत सरकार एवं अन्य

केंद्रीय/राज्य एजेंसियों के साथ रामनवय किया जाएगा। ऊर्जा निकासी योजना के अनुमोदन एवं बजट के आवंटन में सुगमता प्रदान की जाएगी।

ख— राज्य सरकार या इसकी एजेंसियों के नियंत्रण में उपलब्ध उपयुक्त भूमि/स्थानों के आवंटन में नोडल एजेंसी द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी।

2— प्रदेश के अन्दर ग्रिड संयोजित सोलर पावर परियोजनाओं से उत्पादित ऊर्जा का ३०% पावर कारपोरेशन लिंग/राज्य विद्युत वितरण कम्पनी/थर्ड पार्टी/सामूहिक कैप्टिव उपयोगार्थ क्रय किया जाएगा।

3— सौर ऊर्जा परियोजनाओं को भूमि, पारेषण तंत्र एवं अन्य बुनयादी सुविधाएं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित व्यवस्था लागू की जाएगी:-

- अ. उक्त नीति के अन्तर्गत राज्य में ग्राम समाज भूमि का उपयोग एकीकृत सोलर पावर पार्क की स्थापना के लिए किया जाएगा।
- ब. उक्त नीति के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा स्वयं अथवा केन्द्र/राज्य सरकार के अधीन किसी सार्वजनिक उपक्रम के साथ गठित संयुक्त उपक्रम को राज्य में सोलर पावर पार्क की स्थापना हेतु निम्नवत् प्रोत्साहन उपलब्ध कराया जाएगा:-

(i) सोलर पावर पार्क की स्थापना के लिए ३० वर्ष अवधि हेतु पट्टा (लीज) अथवा उपयोग करने के अधिकार (Right to use) के आधार पर राजस्व भूमि रु. १ प्रति एकड़ प्रति वर्ष की लीज दर से अहस्तान्तरणीय भूमि उपलब्ध होगी। यदि आवंटन होने के ०३ वर्ष की समयावधि में भूमि सौर ऊर्जा हेतु उपयोग में नहीं लायी जाती है अर्थात् कार्य प्रारम्भ नहीं होता है तो भूमि अनिवार्य रूप से वापस ले ली जाएगी।

(ii) तकनीकी व्यवहार्यता के अधीन निकटतम ग्रिड सब स्टेशन से कनेक्टिविटी इस शर्त पर दी जाएगी कि सोलर पावर पार्क विकासकर्ता (एसपीपीडी) द्वारा बाह्य पारेषण नेटवर्क एवं पारेषण तंत्र के सुदृढ़ीकरण की लागत यदि कोई हो तो वहन की जाएगी।

(iii) सोलर पावर पार्क में तृतीय पक्ष को विक्रय अथवा कैप्टिव उपयोग किए जाने पर सोलर पावर पार्क विकासकर्ता (एसपीपीडी) द्वारा बाह्य ट्रांसमिशन नेटवर्क और पारेषण तंत्र के सुदृढ़ीकरण करने की लागत वहन की जाएगी।

(iv) पारेषण की लागत अनुकूलन (Optimization) हेतु एसटीयू (State Transmission Utility) ३० प्र० पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लिंग के परामर्श से सौर पावर पार्क की स्थापना स्थल का निर्धारण किया जाएगा।

(v) सोलर पावर पार्क के अन्दर स्थल/सौर ऊर्जा परियोजनाओं का आवंटन नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, (एमएनआरई), भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार आमंत्रित प्रतिस्पर्धात्मक निविदा के द्वारा किया जाएगा।

स— उक्त नीति के अन्तर्गत निजी कम्पनी द्वारा सोलर पावर पार्क की स्थापना पर विद्युत निकासी तंत्र, सड़क, प्रकाश व्यवस्था, जल आपूर्ति प्रणाली और अन्य अवस्थापना व्यवस्था

की जाएगी। निजी कम्पनी को राज्य मे सोलर पावर पार्क की स्थापना हेतु निम्नवत प्रोत्साहन उपलब्ध कराया जाएगा:-

- (i) तकनीकी व्यवहार्यता के अधीन निकटतम ग्रिड स्टेशन से कनेक्टिविटी इस शर्त पर दी जाएगी कि एसपीपीडी द्वारा बाह्य पारेषण नेटवर्क एवं पारेषण तंत्र के सुदृढ़ीकरण की लागत यदि कोई हो, वहन की जायेगी।
- (ii) न्यूतम 1 मेगावाट स्थापित क्षमता से ओपन एक्सेस के अन्तर्गत तृतीय पक्ष को 100% ऊर्जा विक्रय की अनुमन्यता होगी।
- (iii) सोलर पावर पार्क की स्थापना हेतु राजस्व भूमि 30 वर्ष के पटे पर ₹ 15,000/- रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से अहस्तान्तरणीय भूमि उपलब्ध होगी। यदि आवंटन होने के 03 वर्ष की समयावधि में भूमि सौर ऊर्जीकरण हेतु उपयोग में नहीं लायी जाती है अर्थात् कार्य प्रारम्भ नहीं होता है तो भूमि अनिवार्य रूप से वापस ले ली जाएगी।
- (iv) एमएनआरई की अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क योजना के अन्तर्गत सोलर पावर पार्क डेवलपर का दर्जा प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की जाएगी।

- द- नीति के अन्तर्गत सौर ऊर्जा संयंत्र/सौर पार्क की स्थापना के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि पर स्टाम्प शुल्क पर शत-प्रतिशत छूट उपलब्ध होगी।
- य- यू०पी० नेडा द्वारा अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के पक्ष में पुनर्ग्रहित ग्राम सभा/पंचायत और राजस्व भूमि राज्य सरकार/केन्द्र सरकार की उपक्रमों अथवा संयुक्त उपक्रम को 30 वर्ष हेतु ₹. 1/- प्रति एकड़/प्रति वर्ष की दर से पटे पर उपलब्ध करायी जाएगी। निजी क्षेत्र को भूमि 30 वर्ष की अवधि के लिए रुपये 15,000/- प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से पटे पर उपलब्ध करायी जाएगी।

- 4- प्रदेश के बुन्देलखण्ड एवं पूर्वाञ्चल क्षेत्र में सौर पावर परियोजनाओं की स्थापना हेतु निम्नलिखित प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा:-

- अ. राज्य के बुन्देलखण्ड एवं पूर्वाञ्चल क्षेत्र में यूपीपीसीएल/विद्युत वितरण कम्पनी को सौर ऊर्जा विक्रय करने हेतु स्थापित की जाने वाली 5 मेगावाट एवं अधिक क्षमता की स्टैण्ड अलोन सौर ऊर्जा परियोजनाओं के ग्रिड हेतु अधिकतम पारेषण लाइन की निर्माण लागत का व्यय राज्य सरकार द्वारा निमानुसार वहन किया जायेगा-

- (i) 05 मेगावाट से 10 मेगावाट क्षमता के लिए 10 किलोमीटर
- (ii) 10 मेगावाट से अधिक 50 मेगावाट क्षमता तक के लिए 15 किलोमीटर
- (iii) 50 मेगावाट से क्षमता से अधिक क्षमता की परियोजना के लिए 20 किलोमीटर सौर ऊर्जा परियोजना विकासकर्ता द्वारा पारेषण लाइन का निर्माण अपने स्तर से अथवा यूपीपीसीएल के माध्यम से डिपाजिट आधार पर कराया जा सकता है। यह अनुदान प्रोत्साहन राशि परियोजना विकासकर्ता को यूपीनेडा नोडल एजेन्सी द्वारा प्रतिपूर्ति के रूप में पारेषण लाइन निर्माण और परियोजना कमीशनिंग के उपरान्त सीओडी प्राप्त होने पर अवमुक्त की जाएगी।

- ब सौर ऊर्जा परियोजना विकासकर्ता को प्रतिपूर्ति के रूप में देय अनुदान धनराशि का आंकलन सौर परियोजना विकासकर्ता द्वारा निर्माण सम्बन्धित पारेषण कार्य एवं उक्त हेतु

- किये गये भुगतान का उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०/वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किये गये सत्यापन के आधार पर किया जाएगा।
- सौर ऊर्जा परियोजना विकासकर्ता को प्रतिपूर्ति के रूप में देय प्रोत्साहन राशि उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०/वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सम्बन्धित वर्ष में प्रति किलोमीटर लाईन निर्माण हेतु जारी की गयी "दर अनुसूची" के अनुसार एवं वास्तविक निष्पादित लागत में जो भी कम हो देय होगी।
- परियोजना विकासकर्ता द्वारा बे और सबस्टेशन ग्रिड सुदृढ़ीकरण के निर्माण कार्य, यदि कोई हो, पारेषण लाइन की अतिरिक्त लम्बाई यदि हो, की अवशेष लागत का वहन किया जाएगा।
- 5— सौर ऊर्जा नीति में राउण्ड दी क्लाक (आर०टी०सी०) सौर ऊर्जा हेतु स्टोरेज सिस्टम को प्रोत्साहित किया गया है। स्टोरेज के साथ सौर ऊर्जा परियोजना के लिए नीति के अंतर्गत 05 मेगावाट क्षमता अथवा उससे अधिक क्षमता के चार घंटे के बैटरी स्टोरेज सिस्टम के साथ स्थापित यूटिलिटी स्कल सौर विद्युत परियोजना एवं स्टैण्ड अलोन बैट्री स्टोरेज सिस्टम (केवल सौर ऊर्जा से ऊर्जाकृत) जिनसे उत्पादित ऊर्जा का विक्रय विद्युत वितरण निगम/यूपीपीसीएल को किया जाता है, पर रु० 2.5 करोड़ प्रति मेगावाट की दर से पूँजीगत उपादान उपलब्ध कराया जाएगा।
- 6— नीति के अंतर्गत प्रदेश में स्थापित वृहद सोलर पावर स्टैण्ड अलोन परियोजना से उत्पादित सोलर पावर का विक्रय :—
- (अ) राज्यांतरिक कैपिटिव उपयोग अथवा तृतीय पक्ष को विक्रय किये जाने पर छीलिंग चार्ज/ट्रांसमिशन चार्ज पर 50 प्रतिशत की छूट होगी। जबकि वितरण/पारेषण लाईन हानि एवं कास सब्सिडी सरचार्ज, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग रेग्यूलेशन में समय—समय पर किए गए संशोधन के अनुरूप होगी।
  - (ब) अन्तर्राज्यीय तृतीय पक्ष को विक्रय किये जाने पर राज्यान्तरिक ट्रांसमिशन तंत्र के लिए कास सब्सिडी सरचार्ज एवं छीलिंग चार्ज/ट्रांसमिशन चार्ज पर 100 प्रतिशत की छूट होगी।
  - (स) उक्त स्थापित सोलर पावर वृहद परियोजनाओं से उत्पादित सोलर पावर तृतीय पक्ष को विक्रय अथवा कैपिटिव उपयोग हेतु मीटरिंग एसटीयू/डिस्ट्रीब्यूशन लाईसेन्सी सब-स्टेशन स्तर पर की जाएगी।
- 7— सौर ऊर्जा नीति के अन्तर्गत नहरों/जलाशय अथवा किसी भी वाटर बाड़ी पर फ्लोटिंग वृहद सोलर पावर परियोजनाओं की स्थापन करायी जाएगी एवं राज्य में निर्मित एक्सप्रेस—वे के किनारे सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की जाएगी।
- 8— नीति के अन्तर्गत राज्य में स्थापित समस्त सौर परियोजनाओं से उत्पादित ऊर्जा का विक्रय विद्युत वितरण कम्पनी अथवा तृतीय पक्ष अथवा कैपिटिव उपयोग किये जाने पर 10 वर्ष तक इलेक्ट्रिसिटी झूटी से छूट होगी।
- 9— नीति के अन्तर्गत ग्रिड संयोजित सोलर पीवी परियोजनाओं को समस्त सौर विद्युत परियोजनाओं को पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त करने में छूट होगी।
- 10— नीति के अधीन, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रदूषण नियंत्रण नियम के अंतर्गत परियोजना स्थापना हेतु सौर संचालन की सहमति/एनओसी प्राप्त करने में छूट होगी।

11- नीति के अन्तर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 प्रतिशत तक ऊर्जा की बैंकिंग की अनुमति होगी, जो यूपीईआरसी, विद्युत वितरण कम्पनी के अधीन उ0प्र0 कैटिव रिन्यूवेल एनजी (सीआरई) रेग्यूलेशन-2019 तथा इनके अनुकूली संशोधन के अनुसार होगी। ऊर्जा बैंकिंग की सुविधा 25 वर्ष अथवा परियोजना के उपयोगी समयकाल जो भी कम हो के लिए होगी।

12- उक्त नीति के अन्तर्गत राज्य सरकार के भवन/राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन कार्यालय के भवन या परिसर/भारत सरकार या अन्य प्रांतीय सरकार के राज्य में स्थित कार्यालय भवन तथा सरकारी एवं गैर सरकारी सभी श्रेणी की शिक्षण संस्थाओं जिनका नियमन केंद्र सरकार/राज्य सरकार के नियामक संस्थाओं द्वारा किया जाता है, के कार्यालय भवनों में सरकार/राज्य सरकार के नियामक संस्थाओं द्वारा पावर प्लाण्ट की नेट मीटरिंग व्यवस्था के अन्तर्गत स्थापित कराए जाएं। इन संस्थानों पर ₹०पी०सी०/थर्ड पार्टी (रेस्को मोड) {Renewable Energy Supply Company} द्वारा रूफटॉप सोलर पावर प्लाण्ट की स्थापना करायी जाएगी। रेस्को मोड की व्यवस्था के अन्तर्गत उपभोक्ता एवं थर्ड पार्टी (रेस्को) के मध्य पावर परचेज अनुबन्ध (पीपीए) तथा उपभोक्ता एवं विद्युत वितरण कम्पनी के मध्य नेट मीटरिंग इन्टरकनेक्शन अनुबन्ध निम्नवत किया जाएगा:-

a) यूपीनेडा ग्रिड संयोजित रूफटॉप परियोजना की स्थापना हेतु नोडल एजेन्सी होगी तथा नोडल एजेन्सी यूपीनेडा द्वारा इन संस्थानों में थर्ड पार्टी (रेस्को मोड) रूफटॉप सोलर पावर प्लाण्ट हेतु स्थापना की मांग को सक्रियता से एकत्रित किया जाएगा।

b) संस्थाएं स्वयं अथवा यूपीनेडा के परामर्श से रेस्को मोड/₹०पी०सी० मोड में रूफटॉप सोलर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना करा सकती है। यूपीनेडा को संयंत्र मूल्य के तीन प्रतिशत एवं एप्लीकेबल जी.एस.टी./अन्य टैक्स शुल्क देय होगा।

13- नीति के अन्तर्गत निजी आवासीय क्षेत्रों में नेट मीटरिंग व्यवस्था के अन्तर्गत ग्रिड संयोजित रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टाईक पावर प्लाण्ट की स्थापना पर ₹. 15,000.00 प्रति किलोवाट अधिकतम ₹. 30,000.00 प्रति उपभोक्ता राज्य अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। उक्त अनुदान अवमुक्त करने हेतु यूपीनेडा नोडल एजेन्सी होगी। यूपीनेडा द्वारा आवासीय उपभोक्ताओं को रूफटॉप सोलर पावर प्लाण्ट की स्थापना कमिशनिंग के पश्चात् समस्त अभिलेखों को प्राप्त करने के उपरांत प्रतिपूर्ति के रूप में यह अनुदान अवमुक्त किया जाएगा।

a) यूपीनेडा द्वारा उक्त राज्य अनुदान धनराशि निजी उपभोक्ताओं को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदत्त केन्द्रीय वित्तीय सहायता के अतिरिक्त रूप में देय होगी।

b) यूपीनेडा द्वारा उक्त राज्य अनुदान की धनराशि का डायरेक्ट लाभार्थी ट्रांसफर (डीबीटी) हेतु एवं वेंडर के पंजीकरण हेतु यूपीनेडा के पोर्टल को राष्ट्रीय पोर्टल के साथ एकीकृत किया जाएगा। आन लाईन आवेदन प्राप्त करने एवं अनुदान निर्गत करने की प्रणाली विकसित की जाएगी।

c) उक्त अनुदान अवमुक्त करने हेतु यूपीनेडा नोडल एजेन्सी होगी तथा वर्ष में वितरण हेतु लक्षित अनुदान धनराशि हेतु बजटीय प्राविधान कराया जाएगा एवं उक्त से फण्ड प्राप्त किया जाएगा।

14— उक्त नीति के अन्तर्गत सोलर सिटी कार्यक्रम के अंतर्गत अयोध्या शहर को मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। इसकी राफलता के ऑकलन के पश्चात प्रदेश के 16 नगर निगम और नोएडा सिटी को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा।

- a) प्रदेश के 16 नगर निगमों और नोएडा सिटी को नीति के प्रारंभिक वर्ष में एम.एन.आर.ई. की परिभाषा के अनुरूप सोलर सिटी के रूप में विकसित होने के लिए वर्ष-2011 की नगर निगम क्षेत्र की जनगणना के अनुसार पचास रूपये प्रति व्यक्ति की दर से फण्ड उपलब्ध कराया जाएगा। इस फण्ड का व्यय नगर निगम द्वारा शहर में सोलर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना पर किया जाएगा जिससे उत्पादित सौर ऊर्जा से पारंपरिक ऊर्जा की मॉग में दस प्रतिशत की कमी की जा सके।
- b) उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति-2022 के संचालन अवधि के तीन वर्ष में जिन नगर निगम द्वारा सोलर सिटी की परिभाषा के अनुरूप शहर की पारंपरिक ऊर्जा की अनुमानित कुल मॉग की न्यूनतम 10 प्रतिशत ऊर्जा, सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना से प्राप्त की जाएगी, को वर्ष-2011 की नगर निगम क्षेत्र की जनगणना के अनुसार पचास रूपये प्रति व्यक्ति की दर से प्रोत्साहन धनराशि दी जाएगी। इस प्रोत्साहन धनराशि का व्यय सोलर सिटी के रूप में विकसित नगर निगम द्वारा और सोलर संयंत्रों की स्थापना पर ही किया जाएगा।
- c) उक्त फण्ड अवमुक्त करने हेतु यूपीनेडा नोडल एजेन्सी होगी तथा वर्ष में सोलर सिटी विकसित करने के लिए अयोध्या शहर, नगर निगम और नोएडा सिटी को धनराशि वितरण हेतु बजटीय प्रविधान कराया जाएगा एवं उक्त से फण्ड प्राप्त किया जाएगा।

15— उ०प्र० सौर ऊर्जा नीति-2022 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL) द्वारा डिस्काम के माध्यम से पीएम कुसुम सी योजना घटक सी-1 एवं सी-2 एवं सोलर रुफटॉप के अन्तर्गत उत्पादित 100 प्रतिशत ऊर्जा क्रय की जाएगी। यूटिलिटी स्केल सोलर पावर प्रोजेक्ट्स/सोलर पावर पार्क द्वारा उत्पादित सौर ऊर्जा को यूपीपीसीएल/डिस्काम, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (UPERC) द्वारा निर्धारित रिन्यूवेबल परचेज आब्लीगेशन (आरपीओ) एवं निगम के वाणिज्यिक हित के दृष्टिगत यथा-आवश्यक क्रय की जाएगी। सोलर पावर परियोजनाओं का आवंटन नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई), भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार आमंत्रित प्रतिस्पर्धात्मक बिडिंग के माध्यम से किया जाएगा।

16— उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति-2022 के अन्तर्गत राज्य में एमएनआरई की पी०एम० कुसुम योजना घटक (सी-1) के अन्तर्गत स्थापित निजी ऑनग्रिड पम्प का सोलराईजेशन किया जाएगा। केन्द्र सरकार द्वारा दी जा रही 30% सब्सिडी के अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति, वनटांगिया एवं मुसहर जाति के कृषकों के निजी ऑनग्रिड नलकूपों को निःशुल्क सौर ऊर्जाकृत किया जाएगा जिसके लिए राज्य अनुदान 70% उपलब्ध कराया जाएगा। अन्य कृषकों को निजी ऑनग्रिड नलकूपों के सोलराईजेशन पर केन्द्र सरकार द्वारा अनुमत्य 30% अनुदान के अतिरिक्त राज्य अनुदान 60% उपलब्ध कराया जाएगा तथा 10 प्रतिशत अंशदान कृषकों द्वारा देय होगा।

- 17— उ0प्र0 सौर ऊर्जा नीति-2022 के अन्तर्गत राज्य में एमएनआरई की पी0 एम0 कुसुम योजना के घटक (सी-2) के अधीन जारी प्राविधानों/दिशा-निर्देशों के अनुसार पृथक कृषि विद्युत फीडरों के सौर ऊर्जीकरण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा दी जा रही अनुदान के अतिरिक्त राज्य सरकार से अधिकतम रु0 50 लाख प्रति मेगावाट की दर से वाईबिलिटी गैप फण्ड (वीजीएफ) उपलब्ध कराया जाएगा। एम0एन0आर0ई0/राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार परियोजना आवंटन प्रतिस्पर्धात्मक बिडिंग (वीजीएफ / टैरिफ आधारित) के माध्यम से किया जाएगा।
- 18— नीति के अन्तर्गत सोनभद्र, बस्ती, मिर्जापुर, बहराइच आदि जिलों के दूर-दराज, सुदूर (Remote) अविद्युतिकृत ग्राम/मजरों के आवासों में बिजली उपलब्ध कराने के लिए स्टैंड अलोन सोलर पावर पैक सिस्टम की स्थापना को बढ़ावा दिया जाएगा। यह स्टैंड अलोन सोलर पॉवर पैक सिस्टम केंद्र सरकार द्वारा सौभाग्य योजना के अन्तर्गत निर्धारित दिशा-निर्देश एवं मानकानुसार उपलब्ध कराए जाएंगे। अविद्युतिकृत क्षेत्र का चयन निम्नलिखित वरीयता के अनुसार किया जाएगा:-
- I नक्सल प्रभावित क्षेत्र
- II- बनटांगिया क्षेत्र
- III- द्राइबल/मुसहर क्षेत्र
- IV- अन्य ग्राम/मजरे
- 19— सम्बंधित जनपद के अविद्युतिकृत ग्राम और मजरों का चयन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिलास्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा तथा जिला स्तरीय समिति द्वारा बजट की उपलब्धता के अनुसार अन्त्योदय कार्ड धारक तदोपरान्त बीपीएल (गरीबी रेखा के नीचे ) कार्ड धारकों के पात्र लाभार्थी का चयन किया जाएगा।
- 20— उ0प्र0 सौर ऊर्जा नीति-2022 के अन्तर्गत सब्सिडी उन्हीं संयंत्रों/परियोजनाओं में अनुमन्य होगी जिनका क्रय/निर्माण इस नीति के प्रख्यापन की तिथि के उपरान्त किया गया हो।
- 21— उ0प्र0 सौर ऊर्जा नीति-2022 के अन्तर्गत भारत सरकार के नेशनल इंस्टीट्यूट आफ सोलर इनर्जी (एनआईएससी)/आई0टी0आई0/यू०पी० नेडा प्रशिक्षण संस्थान/उ0प्र0 कौशल विकास मिशन के साथ संयुक्त रूप से विभिन्न कौशल विकास प्रशिक्षण किये जाएंगे और नीति की संचालन अवधि में 30,000 सूर्य मित्र प्रशिक्षित किये जाएंगे।
- 22— उ0प्र0 सौर ऊर्जा नीति-2022 के अन्तर्गत स्थापित/विकसित एवं कियान्वित की जाने वाली सोलर पावर परियोजनाओं का अनुश्रवण एवं समय-समय पर उत्पन्न अंतर्विभागीय प्रकरणों के निस्तारण मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा। इस समिति द्वारा सौर ऊर्जा नीति के अंतर्गत आवंटित 5 मेगावाट एवं 5 मेगावाट से अधिक क्षमता की परियोजनाओं का अनुमोदन प्रदान किया जाएगा।
- 23— उ0प्र0 सौर ऊर्जा नीति-2022 के अन्तर्गत आवंटित 0.5 से 05 मेगावाट क्षमता तक की परियोजनाओं का अनुमोदन अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित डिपार्टमेंट लेवल उच्च स्तरीय समिति (डी.एल.ई.सी.) द्वारा प्रदान किया जायेगा।

- 24— उ0प्र0 सौर ऊर्जा नीति-2022 के अन्तर्गत नीति के क्रियान्वयन में जनपद स्तर पर समस्याओं के निदान हेतु एवं नीति का प्रचार-प्रसार जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा।
- 25— उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति-2022 की संचालन अवधि में प्रचार-प्रसार हेतु नगर निगम मुख्यालय वाले जनपदों को रु 2.0 लाख तथा नगर पालिका मुख्यालय वाले जनपदों को रु 1.0 लाख का फण्ड उपलब्ध कराया जाएगा।
- 26— राज्य सरकार, केन्द्र सरकार तथा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संस्थाओं के सहयोग से यूपीनेडा में उत्तर प्रदेश सौर एनर्जी डिवलपमेण्ट फण्ड (यूपीएसईडीएफ) कारपस फण्ड बनाया जाएगा। इस फण्ड में कैश एवं काइंड (नॉलेज शेयरिंग) के रूप में सहायता प्राप्त की जाएगी। इस फण्ड में यूपीनेडा द्वारा सौर ऊर्जा क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय और द्विपक्षीय वित्त पोषित संगठनों से सहायता अनुदान प्राप्त किया जाएगा। इस फण्ड के उपयोग से राज्य में सौर ऊर्जा का विकास और सौर ऊर्जा के संस्थागत ढाँचे को विकसित किये जाने संबंधित गतिविधियों पर किया जाएगा। इस फण्ड का व्यय मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य उच्च स्तरीय समिति का अनुमोदन प्राप्त कर किया जाएगा।
- उपर्युक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करायें।

भवदीय,

( महेश कुमार गुप्ता )  
अपर मुख्य सचिव।

संख्या । ४६५ (१) / ८७-२०२२-७५५ / अति.जु.स्नो.वि. / २०२२, तददिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. अपर मुख्य सचिव, नियोजन, उ0प्र0 शासन।
5. प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव, राजस्व, उ0प्र0 शासन।
6. अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा, उ0प्र0 शासन।
7. प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन, उ0प्र0 शासन।
8. प्रबन्ध निदेशक, यूपीपीसीएल, उ0प्र0, लखनऊ।
9. प्रबन्ध निदेशक, यूपीपीटीसीएल, उ0प्र0, लखनऊ।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

( सुनील कुमार चौहान )  
अनु सचिव।